

## पुलसि सुधार की ज़रूरत

यह एडिटोरियल 22/12/2022 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Need urgent police reforms" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में पुलसि कार्य का संचालन करने वाले वधिकि एवं संस्थागत ढाँचे और इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ


भारत में वधिव्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जाँच करने का दायतिव राज्य पुलसि बल पर है, जबकि केंद्रीय बल उनहें खुफिया और आंतरकि सुरक्षा चुनौतियों (जैसे उपद्रव या विद्रोह) से नपिटन में सहायता देते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बजट का लगभग 3% पुलसि व्यवस्था पर खरच किया जाता है।

- भारत में पुलसि कार्य का संचालन या नविंतरण करने वाला वधिकि और संस्थागत ढाँचा हमें अंगरेज़ों से वरिसत में मिला है। वर्तमान कानूनी ढाँचा, जिसमें पुलसि अधिनियम 1861 और अन्य राज्य विधियां शामिल हैं, एक जवाबदेह पुलसि बल स्थापित करने में अधिकि सक्षम नहीं है।
- जबकि कई सुधार प्रस्तावों को भारत सरकार और सरकारी नियायालय द्वारा चहिनति किया गया है, ऐसे सुधार वांछति सीमा तक प्राप्त या कार्यान्वयिति नहीं किये गए हैं। इस परिवर्तन में, एक कुशल पुलसि व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिये आवश्यक है एवं संस्थागत ढाँचे में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

### भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में पुलसि की आदरश भूमिका क्या है?

- पुलसि बलों की प्राथमिक भूमिका है कानूनों को बनाए रखना एवं प्रवरतति करना, अपराधों की जाँच करना और देश में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चिति करना।
  - भारत जैसे विश्वाल एवं वृहत आबादी वाले देश में पुलसि बल अपनी भूमिका अचूषी तरह से नभिल सकें, इसके लिये आवश्यक है किकरमयों, हथियार, फोरेंसिक, संचार एवं परविहन सहायता के मामले में वे अचूषी तरह से सुसज्जित हों।
- इसके अलावा, उनके पास अपने दायतिवों को पेशेवर रूप पूरा कर सकने के लिये परचिलनात्मक स्वतंत्रता हो, उनके लिये संतोषजनक कार्य दशा हो (जैसे विनियमिति कार्य के धंटे और पदोन्नताके अवसर), जबकि खिराब प्रदर्शन या शक्तिके दुरुपयोग के लिये उनहें जवाबदेह बनाया जा सके।
  - चूंकि अपराध और राज्य विधियों का स्वरूप बदलता जा रहा है और वे अधिकि परिषिकृत होते जा रहे हैं, समय-समय पर पुलसि सुधार किया जाना भी आवश्यक है।

### पुलसि सुधारों पर विभिन्न समतियों/आयोग



### भारत में पुलसि कार्य से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ

- नमिन पुलसि-जनसंख्या अनुपात: जनवरी 2016 में राज्य पुलसि बलों में 24% रकितियाँ (लगभग 5.5 लाख रकितियाँ) दरज की गई थीं। इस प्रकार, वर्ष 2016 में जबकि अनुमत पुलसि क्षमता प्रतिलिख व्यक्ति पर 181 पुलसिकरमी होनी चाहिये थी, इनकी वास्तविक संख्या 137 ही थी। उल्लेखनीय है किसिंयुक्त राष्ट्र (UN) ने प्रतिलिख जनसंख्या पर 222 पुलसिकरमयों की अनुशंसा की है।
  - करमयों की कमी के परणामसवरूप पुलसिकरमयों पर कार्य का अत्यधिकि बोझ होता है, जो न केवल उनकी प्रभावशीलता एवं दक्षता को कम करता है (जिसके परणामसवरूप जाँच कार्य ठीक से नहीं हो पाता), बल्कि इससे मनोवैज्ञानिक संकट भी उत्पन्न होता है और लंबति मामलों

- की संख्या बढ़ती जाती है।
- राजनीतिक दबाव:** पुलसि कानूनों के अनुसार, केंद्रीय और राज्य पुलसि बल – दोनों ही राजनीतिक कार्यकारियों के नवित्रण में रखे गए हैं। राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रायः ही राज्य के वरतमान राजनीतिक मजिजाज के अनुसार पुलसि की प्राथमिकताओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है।
  - **दबातीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** ने वर्ष 2007 में पाया था कि राजनेताओं द्वारा व्यक्तिगत या राजनीतिक कारणों से पुलसिकर्मियों को अनुचानित रूप से प्रभावित किया जाता है।
- औपनिवेशिक वरिसत:** वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद देश के पुलसि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिये अंग्रेज सरकार द्वारा वर्ष 1861 का पुलसि अधनियम लाया गया था। यह अधनियम गणतांत्रिक भारत के 75 वर्ष बीतने के साथ अब जनसंख्या की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रह गया है।
- जनता की धारणा:** दबातीय ARC रपोर्ट में कहा गया कि भारत में पुलसि-पब्लिक संबंध असंतोषजनक है क्योंकि आम लोग पुलसि को भ्रष्ट, अक्षम एवं गैर-जवाबदेह मानते हैं और प्रायः उनसे संपरक करने में संकोच करते हैं।
- अवसंरचनात्मक कमी:** वरतमान पुलसि बलों के लिये सुदृढ़ संचार सहायता, आधुनिक हथियारों और उच्च गतशीलता की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 के कैग ऑडिट (CAG Audits) में पाया गया कि राज्य पुलसि बलों के पास हथियारों की कमी है।
  - इसके अतिरिक्त, 'पुलसि अनुसंधान और विकास ब्यूरो' ने पाया कि राज्य बलों के पास आवश्यक वाहनों के स्टॉक में 30.5% की कमी है।
- बदलती प्रौद्योगिकी, चुनौतीपूरण होता पुलसि कार्य:** अगले दशक में डिजिटलीकरण, हाइपरकनेक्टिविटी और डेटा की घातीय वृद्धि में तेज़ी आने का अनुमान है।
  - जैविक हथियार (Bioweapons) और साइबर हमले जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अभसिरण से प्रभावी पुलसि कार्य के लिये खतरा उत्पन्न हुआ है।

## आगे की राह

- पुलसि बल को एक 'समारूप' बल बनाना:** भारतीय पुलसि बल को सख्त एवं संवेदनशील (Strict and Sensitive), आधुनिक एवं गतशील (Modern and Mobile), सतरक एवं जवाबदेह (Alert and Accountable), विश्वसनीय एवं उत्तरदायी (Reliable and Responsive) और तकनीनी क्षुल एवं प्रशिक्षित (Tech Savvy and Trained) बनाने की आवश्यकता है।
  - विभिन्न अध्ययनों से संकेत मलिता है कि जिब पुलसि अधिकारी नागरिकों के साथ गरमिपूरण व्यवहार करते हैं, संवाद में उन्हें बराबर की अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं और पारदर्शनी एवं जवाबदेही के सजग विचारों से निर्देशित होते हैं तो यह लोगों द्वारा कानूनों के अनुपालन को सुदृढ़ करता है और अपराध को परेरति करने वाले परदिश्यों में सुधार लाता है।
- 'कम्युनिटी पुलसिंग'** को बढ़ावा देना: सामुदायिक विधि-व्यवस्था कार्य या कम्युनिटी पुलसिंग (Community Policing) को बढ़ावा देना विकासपूरण होगा, क्योंकि इसमें अपराध एवं अपराध से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये पुलसि और समुदाय के सदस्य मलिकर कार्य करते हैं तथा यह जनता-पुलसि संबंधों में भी सुधार लाता है।
- पुलसि शक्तियां प्राधिकरण की स्थापना:** सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, पुलसि कदाचार की शक्तियों की जाँच के लिये एक स्वतंत्र शक्तियां प्राधिकरण की आवश्यकता है।
  - आदरश पुलसि अधनियम 2006 के अनुरूप, परतयेक राज्य को एक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिये जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नागरिक समाज के सदस्यों, सेवानिवृत्त पुलसि अधिकारियों और दूसरे राज्य के लोक प्रशासकों को रखा जाए।
- साइबर-अपराध का मुकाबला करने के लिये साइबर-पुलसिंग को मजबूत करना:** चूँकि अपराध अधिक प्रविष्ट, जटिल और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते जा रहे हैं, नए डिजिटल अन्वेषण एवं डेटा प्रबंधन क्षमताओं के साथ-साथ नवीन एआई-संवरद्धित साधनों का होना महत्वपूर्ण है।
  - उदाहरण के लिये, देश भर में साइबर अपराध की स्थिति को उपयुक्त रूप से समझने के लिये संबंधित आपराधिक आँँड़ों को अद्यतन कर्यालय जाना आवश्यक है।
- नियुक्तियों में पारदर्शनी:** आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना को सुदृढ़ करने हेतु पुलसि सुधार महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप **पुलसि अधनियम, 1861** में संशोधन किया जाना चाहिये।
  - चूँकि पुलसि महानदिवाकर (राज्य में पुलसि व्यवस्था के प्रमुख) की नियुक्तिका विषय पुलसि प्रशासन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी नियुक्तियों के लिये एक पारदर्शी और योग्यता आधारति प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिये।
- महलियों के नमिन प्रतिविधिति के मुद्दे को संबोधित करना:** उल्लेखनीय है कि संसदीय स्थायी समतिदिवारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पुलसि बल में महलियों का 33% प्रतिविधिति सुनिश्चित करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने की सलाह दी गई है। इसने प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक महला पुलसि स्टेशन स्थापित करने की भी अनुरोध साक्षरता की आवश्यकता पर चर्चा की जायी।

**अभ्यास प्रश्न:** अपराध और राज्य वरौधी कृत्यों की प्रविष्टि को देखते हुए भारत में पुलसि सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा की जायी।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्षों के प्रश्न (पक्ष)

?/?/?/?/?/? ?/?/?/?/?/?

**Q.1** मौत की सज्जा को कम करने में राष्ट्रपति की देरी का उदाहरण सार्वजनिक बहस के तहत न्याय से इनकार के रूप में सामने आए हैं। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये राष्ट्रपति के लिये कोई समय निर्दिष्ट होना चाहिये? विवरण कीजिये। (वर्ष 2014)

**Q.2** भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सबसे प्रभावी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले अन्य तंत्रों द्वारा प्रयाप्त रूप से समर्थित किया जाता है। उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने और उनकी

रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के रूप में इनाएचआरसी की भूमिका का आकलन करें। (वर्ष 2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/need-of-police-reforms>

